न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या–14 /2011–12

श्री नारायण दत्त

–बनाम–

सरकार

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पी0के0 गर्ग।
अधिवक्ता उत्तरदाता राज्य सरकार : श्री सुबोध कुमार शर्मा, जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व)।

बावत
मौजा गैंड, तहसील गैरसैण,
जनपद चमोली।

निर्णय

यह निगरानी आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी द्वारा अपील संख्या–विविध–01/2010 नारायण दत्त बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 16–12–2011 के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता को उपायुक्त चमोली के द्वारा दिनांक 04–08–1977 को ग्राम गैंड पटवारी वृत्त गैरसैण तहसील गैरसैण, जनपद चमोली की सरहद अन्दर खेत नम्बर–1066 मध्ये 8/16 नाली भूमि रू0 18–00 सालाना रकम पर भवन/गौशाला के लिए लीज पर स्वीकृत हुई थी। दिनांक 10–09–2008 को उप जिलाधिकारी, गैरसैण ने एक रिपोर्ट उपायुक्त चमोली को इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ''तहसील गैरसैण अन्तर्गत ग्राम गैंड में सैनिक विश्राम गृह हेतु प्रस्तावित भूमि के खसरा नम्बर 1066 मध्ये 0.010 है0 भूमि श्री नारायण दत्त पुत्र उर्बीदत्त ग्राम गैंड, पटवारी वृत्त गैरसैण, तहसील गैरसैण के नाम लीज पट्टे पर वर्ष 1976–77 में रू0 18.00 वार्षिक रकम पर आवासीय भवन/गौशाला निर्माण हेतु स्वीकृत हुई थी। पट्टा धारक श्री नारायण दत्त द्वारा स्वीकृतशुदा भूमि का मौके पर मकान निर्माण हेतु समतलीकरण किया गया है, किन्तु परिस्थितिवश स्वीकृतसुदा भूमि पर आवसीय भवन निर्मित नहीं किया गया है। मौके पर भूमि लीज धारक के कब्जे में है तथा उनके द्वारा स्वीकृतसुदा लीज भूमि की रकम नियमित रूप से अदा की जा रही है। किन्तु जिस प्रयोजन हेतु भूमि का पट्टा स्वीकृत है उसे पूर्ण नहीं किया गया है जो कि लीज शर्तों का उल्लघंन है। अतः पट्टेदार श्री नारायणदत्त पुत्र उर्बीदत्त का लीज पट्टा निरस्तीकरण हेतु आख्या सम्प्रेषित है।'' उप जिलाधिकारी, गैरसैण की उक्त आख्या के आधार पर उपायुक्त, चमोली ने अपने आदेश दिनांक 18–08–2010 से निगरानीकर्ता का लीज पट्टा निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता ने

अपील आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे विद्वान आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 16–12–2011 से निरस्त कर दी। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी योजित की है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस विस्तार से सुनी तथा अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों भली–भाँति अवलोकन किया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि उनको जो लीज स्वीकृत हुई है वह मकान एवं गौशाला बनवाने हेतु स्वीकृत थी। निगरानीकर्ता ने वहाँ पर गौशाला बना रखी है तथा मकान बनाने हेतु भूमि समतल की हुई है जिसकी पुष्टि तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 09–09–2008 से भी होती है। मात्र आवसीय भवन न बनाने के कारण लीज निरस्त की गई है, जबकि पट्टाधारक नियत वार्षिक लगान लगातार देता आ रहा है। इस बात का उल्लेख जांच आख्या में भी किया गया है।

प्रतिपक्षी सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) का तर्क है कि निगरानीकर्ता को लीज पट्टा 30 वर्ष के लिए दिया गया था जो पूर्ण हो चुका है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए लीज स्वीकृत की गई थी निगरानीकर्ता उसे पूरा नहीं कर सका है। अतः उपायुक्त, चमोली द्वारा जो आदेश लीज पट्टा निरस्त करने का किया गया है वह उचित है।

मेरा ध्यान लीज पट्टे की शर्त संख्या–4–b की ओर आकर्षित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि – That every dispute, difference of question which may at any time arise between the parties hereto or any person claiming under them touching or arising out or in respects of this deed or subject matter thereof shall be referred to the Commissioner, Garhwal Division Pauri, whose decision thereon shall be final.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपायुक्त, चमोली द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश दिनांक 18–08–2010 पारित किया गया है जिसका संज्ञान विद्वान आयुक्त द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांक 16–12–2011 में नहीं लिया गया है। फलस्वरूप आदेश दिनांक 16–12–2011 व 18–08–2010 निरस्त होने योग्य हैं।

निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार की जाती है। विद्वान आयुक्त का आदेश दिनांक 16–12–2011 व उपायुक्त, चमोली का आदेश दिनांक 18–08–2010 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः ५ जून, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष।